



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255950  
CG-DL-E-31072024-255950

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946

No. 422]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/SHRAVANA 9, 1946

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 461(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** :--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारिवृंद	70* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900/- रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच। <b>टिप्पण :</b> आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	<b>आवश्यक :</b> किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र) में - (i) निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य (iii) उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना -सदस्य हिंदी शिक्षण योजना ( प्रादेशिक कार्यालय मध्योत्तर क्षेत्र से बाहर) में - (i) संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष) -अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (क्षेत्र में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट) -सदस्य (iii) भारत सरकार का कोई अन्य अधिकारी जो अवर सचिव / उप निदेशक से नीचे रैंक का न हों। -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 14034/21/2022-रा.भा.(प्रशि.)]

अनिल कुमार, उप सचिव (प्रशि.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

**G.S.R. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2014 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.



3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff.	70*(2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (₹18000 – 56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years.  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Mode of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:</b>  <b>In Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme (North Central Region)</b>  (i) Director, Central Hindi Training Institute - Chairman;	Not applicable .

	<p>(ii) Administrative Officer, Central Hindi Training Institute - Member;</p> <p>(iii) Deputy Director, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme - Member.</p> <p><b>In Hindi Teaching Scheme (Regional Offices outside North Central Region)</b></p> <p>(i) Joint Director/Deputy Director (Head of Office, as the case may be) - Chairman;</p> <p>(ii) Deputy Director (in the region nominated by Head of Office) - Member;</p> <p>(iii) Any other Officer of the Government of India not below the rank of Under Secretary/ Deputy Director - Member</p>	
--	---	--

[F. No. 14034/21/2022-OL(Training)]

ANIL KUMAR, Dy. Secy. (TRG.)